न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
16/2019	09-08-2019	07/03/20

उनवान

01. सतनाम पुत्र श्री रामसिंह उम्र 34 वर्ष जाति रायसिख निवासी ग्राम बामनठेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

----:: अपीलान्ट

बनाम

01. ग्राम पंचायत लुहादेरा जरिये सरपंच पंचायत समिति तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. कृष्णसिंह
03. महेन्द्रसिंह
04. इन्द्रसिंह
05. जोगेन्द्रसिंह
06. बलवीरसिंह
07. सोनीसिंह
08. जंगीरसिंह पुत्रान रामसिंह जातियान रायसिख निवासीगण ग्राम बामनठेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व इंतकाल संख्या 439 दिनांक 11.05.1997 वाके ग्राम बामनठेडी ग्राम पंचायत लुहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

–:: निर्णय ::–

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत लुहादेरा का आलौच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरित पारित किया गया है, जिससे मिन अपीलान्ट को काफी हानि उठानी पडी है अधिनस्थ ग्राम पंचायत लुहादेरा का आलोच्य आदेश नामान्तकरण संख्या 439 दिनांक 11.05.1997 संलग्न पत्रावली है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मृतक रामसिंह पुत्र महताबसिंह की मृत्यु दिनांक 16.05.1990 को ग्राम बामनठेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) में हो गये दिनांक 10.05.1997 को हल्का पटवारी द्वारा नामांतकरण के कॉलम संख्या 9 लगायत 13 गलत रूप से बिना कोई सूचना दिये हुये हल्का पटवारी द्वारा इंतकाल संख्या 439 में मृतक रामसिंह पुत्र महताबसिंह की विरासत रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 8 व जीतोबाई बेवा रामसिंह के नाम दर्ज कर दी गई तथा दिनांक 11.05.1997 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत लुहादेरा ने उक्त नामान्तकरण स्वीकार कर लिया। जीतोबाई बेवा रामसिंह की दिनांक 12.06.1998 को फौत हो चुकी है, जिसका इंतकाल दर्ज नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत लुहादेरा

द्वारा ना तो मृतक रामसिंह के वारिसान की बाबत कभी कोई जॉच की गई और ना ही मिन अपीलान्ट को कोई नोटिस दिया गया और गलत रूप से इंतकाल संख्या 439 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 व जीतोबाई पत्नी रामसिंह के नाम दर्ज व स्वीकार कर दिया, जो कि गलत दर्ज किया गया है, जो विरासत का इंतकाल हर सूरत में काबिले खारिज है। जबकि मृतक रामसिंह का मिन अपीलान्ट भी जायज एवं विधिक वारिस है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत लुहादेरा को अपना आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व पूर्ण रूप से जांच करके ही आदेश पारित करना चाहिए था। किन्तु ग्राम पंचायत लुहादेरा ने समस्त कायदे को वालाय ताक में रखते हुए अपना यह आलोच्य आदेश दिनांक 11.05.1997 नामान्तरकरण संख्या 439 पारित किया है, जो हर सूरत में काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत लुहादेरा का आलौच्य आदेश दिनांक 11.05.1997 बाबत इंतकाल संख्या 439 वाके ग्राम बामनठेडी तहसील तिजारा जिला अलवर निरस्त किया जाकर इंतकाल हाजा मृतक रामसिंह पुत्र महताबसिंह के जायज एवं विधिक वारिस मिन अपीलान्ट के हक में मुताबिक हिस्सा दर्ज व स्वीकार किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 द्वारा इकबाल जवाब अपील पेश कर निवेदन किया है कि आलौच्य इंतकाल संख्या 439 वाके ग्राम वामनठेडी तहसील तिजारा को निरस्त किया जाकर इंतकाल हाजा मृतक रामसिंह पुत्र महतावसिंह के जायज एवं विधिक वारिस के हक में मुताबिक हिस्सा दर्ज व स्वीकार किये जाने एवं हाल जमाबन्दी में इसी कदर अंकन किये जाने से हमे कोई आपत्ति या ऐतराज नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत लुहादेरा के सरपंच वावजूद तामील के अनुपस्थित रहे अतः उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

अतः अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 439 दिनांक 11.05.1997 वाके ग्राम बामनठेडी ग्राम पंचायत लुहादेरा को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार तिजारा को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में विस्तृत जांच की जाकर पुनः इंतकाल की कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

Km
07/09/2020

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)